



भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय/  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF DEFENCE  
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

DEFENCE R&D ORGANISATION

**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बेंगलोर  
MARATHAHALLI COLONY P.O.  
BANGALORE - 560 037.

**वर्ग अनुमोदन सं./Type Approval No.1243**

**मद/FOR ITEM: "टेंपेस्ट सिस्टम के ट्रेप आर एफ यूनिट पार्ट सं.: 1720 003 381 14"**  
**TRAP RF UNIT OF TEMPEST SYSTEM, PART NO: 1720 003 381 14**

यह प्रमाणित किया जाता है कि डीएलआरएल, हैदराबाद द्वारा अभिकल्पित तथा विकसित एवं मेसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, आई ई नाचाराम, हैदराबाद - 500 076(ए.पी) द्वारा उत्पादित "ट्रेप आर एफ यूनिट पार्ट सं.1720 003 381 14" को आरेखन सं.1720 003 381 14 के अनुसार मिग-27 वायुयान में उपयोग हेतु, उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। इस उत्पाद को आर.सी.एम.ए(हैदराबाद) के समन्वय से विनिर्देश/टेस्ट शेड्यूल सं.बीईएल:टी आर ए पी:आरएफयू:टीएस: 1720 003 381 14 आईएसएस:01/डीएलआरएल:आर:98: 012 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न वर्ग रिकार्ड कंप्लायन्स स्टेटमेंट में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

*This is to certify that the "TRAP RF UNIT" bearing the Part No 1720 003 381 14 designed and developed, by DLRL, Hyderabad, & manufactured by M/s Bharat Electronics, I.E.Nacharam, Hyderabad-500 076 (A.P) is hereby approved for production as per drawing No. No 1720 003 381 14 for use in MIG-27 aircraft. The product has been tested as per governing Specification/test schedule No. BEL: TRAP RFU:TS: 1720 003 381 14 ISS 01/ DLRL:R:98:012, in co-ordination with RCMA (HD). It has met the requirements as detailed in the type record compliance statement enclosed at Appendix-'A'.*

पृष्ठ/Page 01 of 02

FLA  
2  
B  
C  
D



2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अनंतिम निकासी सुपरसीड होती है। ऊपरलिखित वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संगत आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिये।

*The Provisional Clearance accorded to the product is hereby superceded consequent to the issuance of this Type Approval. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes..*

3. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी पर आधारित है तथा सभी उत्पादित बैचों के परीक्षण रिपोर्टों को अग्रेषित किया जाता है।

*This approval is contingent upon the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India, .*

4. यह वर्ग अनुमोदन 31 दिसंबर 2011 तक वैध है। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए आर.सी.एम.ए(एए) से अनुरोध करना होगा।

*This Type Approval is valid up to 31<sup>st</sup> Dec 2011 and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA(Hyderabad), Balanagar, Hyderabad-500 042 for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval.*

5. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण में स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रेकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेन्ट में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलाक), बेंगलूर की पूर्व सहमति लेनी होगी।

*Prior agreement of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bangalore, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or if changes within the Type Record Compliance Statement enclosed are effected.*

संलग्न/Encl : परिशिष्ट 'ए' /Appendix 'A'

सं/No.: सेमिलाक/CEMILAC/5070/ टी.ए/TA- 1243

दिनांक/Date : 08 Dec 2006

फेक्स सं/Fax No: 080-5230856

*Kan*

(कंचन बिस्वास/KANCHAN BISWAS)  
स्थानापन्न मुख्य कार्यपालक(उडनयोग्यता)/  
Offg Chief Executive (Airworthiness)